सावणखां बनाम सरकार

मु0नं0 161/2023

16-01-24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक 1470 दिनांक 09.10.23 अनुसार चक 8 बीडी के मु0नं0 153/51 में प्रार्थी का नाम सावणखां व पिता का नाम महमूद खां दर्ज है। जबकि खातेदारी नामान्तरण सं0 199 पर सावणखां पुत्र ममदूखां दर्ज हुआ था। वर्तमान जमाबंदी में भी सावणखां पुत्र महमूदखां जाति मुसलमान अंकन दर्ज है। टीआरए सैल रजिस्टर में सावणखां पुत्र ममदू खां मुसलमान निवासी थारूसर तहः बीकानेर को उक्त रकबा बतौर पुख्ता आवंटन दर्ज है। अतः खातेदारी नामान्तरण सं0 199 के मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम महमूदखां के स्थान पर ममदूखां किया जाना उचित है। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला के आधार पर प्रार्थी सावण खां के पिता का नाम महमूदखां की जगह ममदूखां दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है इसलिए धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों/प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं चक 8 बीडी के मु0नं0 153/51 के किला नं0 1 ता 25 रकबा 6.1960 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सावण खां के पिता का नाम महमूदखां की जगह ममदूखां दुरूस्त के आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	